



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

8 बैशाख, 1944 (श०)

संख्या - 196 राँची, गुरुवार,

28 अप्रैल, 2022 (ई०)

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

अधिसूचना

30 मार्च, 2022

संचिका संख्या-वनभूमि-09/2018- 1020--भारतीय वन अधिनियम 1927 (अधिनियम-XVI1927) की धारा में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल इस अधिसूचना की तिथि से अधिसूचना में वर्णित में विनिर्दिष्ट जिला-पूर्वी सिंहभूम में स्थित 18.65 एकड़ (7.55 हे०) रैयती गैर-वन भूमि, जो प्रयोक्ता अभिकरण मेसर्स मनमोहन मिनरल्स इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड, जमशेदपुर के द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत जमशेदपुर वन प्रमंडल, जमशेदपुर के अन्तर्गत स्वर्ण खनन परियोजना, कुन्दरूकोचा हेतु 48.18 एकड़ (19.50 हे०) वनभूमि अपयोजन के विरुद्ध क्षतिपूरक वनरोपण हेतु सौंपी गयी है, पर उक्त अधिनियम के अध्याय-IV के प्रावधानों को लागू करने की घोषणा करते हैं।

यह भूमि स्वर्ण खनन परियोजना, कुन्दरूकोचा परियोजना हेतु मेसर्स मनमोहन मिनरल्स इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड (प्रयोक्ता अभिकरण) के पक्ष में जमशेदपुर वन प्रमंडल के अन्तर्गत 48.18 एकड़ (19.50 हे॰) वन भूमि के अपयोजन की भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का पत्रांक-F.No.-10-164/FCEदिनांक-07.01.1998 के द्वारा प्रदत्त सैधांतिक सहमति (In-principle approval) के आलोक में उपलब्ध कराया गया है।

चूंकि, यह भूमि, जिसकी विवरणी उपाबद्ध अधिसूचना में वर्णित सैधांतिक सहमति अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, रैयती भूमि थी तथा जिसे प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा क्रय किया गया है एवं वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार के पक्ष में केस संख्या 116/1998-99, 117/1998-99 द्वारा दाखिल-खारिज किया गया है तथा सेलरजिस्ट्रेशन डीड संख्या-1419 दिनांक-12.06.1998 एवं डीड संख्या-1418 दिनांक-12.06.1998 द्वारा वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार को हस्तांतरित है। अतः उक्त भूमि पर किसी भी अन्य विभाग एवं आम जन का कोई दावा अथवा छूट (Right and concession) नहीं है तथा यह सभी अधिभार एवं अतिक्रमण से मुक्त है।

विनिर्दिष्ट भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत सुरक्षित (Protected) वन के रूप में अधिसूचित किया जाता है एवं अब से यह भूमि सुरक्षित वन (Protected Forest) कहा जायेगा।

भूमि की विवरणी:-

भूस्वामी	मौजा	थाना	थाना नं.	जिला	सी. एस. खाता नं.	सी. एस. प्लॉट नं.	सी. एस. किस्म	हाल खाता नं०	हाल प्लॉट नं.	हाल किस्म	क्षेत्रफल (एकड़)	चौहद्दी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार	नरसिंहपुर	घाटशिला	1125	पूर्वी सिंहभूम	60	3	गोड़ा दो	60	3	गोड़ा दो	5.55	उ. - 2 द. - 10 पू. - 11, 12, 13 प. - 5
					60	10	गोड़ा दो	60	10	गोड़ा दो	2.86	उ. - 3 द. - 13 पू. - 11 प. - 9
					148	428	दोन तीन	148	428	दोन तीन	0.31	उ. - 390 द. - 430

												पू. -389 प. -427
					148	386	दोन तीन	148	386	दोन तीन	0.37	उ. -385 द. -67 पू. -381 प. -387
					149	387P	दोन तीन	149	387P	दोन तीन	1.25	उ. -389 द. -387 पू. -385 प. -435
					149	388	मोटि आइ	149	388	मोटि आइ	0.07	उ. - 389 द. -387 पू. -389 प. -387
					149	389	दोन तीन	149	389	दोन तीन	1.66	उ. -391 द. -387 पू. -384 प. -428
					149	432	गोड़ा दो	149	432	गोड़ा दो	0.10	उ. -431 द. -433 पू. -430 प. -431
					149	433	दोन तीन	149	433	दोन तीन	0.09	उ. -432 द. -435 पू. -435 प. -442
					149	441	दोन तीन	149	441	दोन तीन	0.22	उ. -442 द. -450 पू. -2111

												प. -450
					150	385	दोन तीन	150	385	दोन तीन	0.37	उ. -384 द. -386 पू. -381 प. -387
					151	430	दोन तीन	151	430	दोन तीन	0.49	उ. -428 द. -435 पू. -387 प. -442
					151	435P	दोन तीन	151	435P	दोन तीन	0.87	उ. -430 द. -435 पू. -387 प. -440
					151	439	दोन तीन	151	439	दोन तीन	0.09	उ. -440 द. -437 पू. -438 प. -450
					156	440	दोन तीन	156	440	दोन तीन	0.31	उ. -2111 द. -438 पू. -435 प. -450
					156	441/ 2111	दोन तीन	156	441/ 2111	दोन तीन	0.05	उ. -442 द. -440 पू. -442 प. -441
					157	438	दोन तीन	157	438	दोन तीन	0.08	उ. -440 द. -437 पू. -435 प. -439

					130	374	दोन तीन	130	374	दोन तीन	0.56	उ. - 375 द. - 67 पू. - 373 प. - 379
					130	375	गोड़ा तीन नयी परती	130	375	गोड़ा तीन नयी परती	0.63	उ. - 374 द. - 379 पू. - 373 प. - 377
					130	379	दोन तीन	130	379	दोन तीन	0.77	उ. - 375 द. - 367 पू. - 374 प. - 381
					130	381	दोन तीन	130	381	दोन तीन	1.95	उ. - 378 द. - 367 पू. - 379 प. - 385
									कुल		18.65	

उपर्युक्त आदेश का अंग्रेजी में अनुवाद राज्यपाल, झारखण्ड के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकार पाठ समझा जाएगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

एल० खियांगते,
अपर मुख्य सचिव।

अधीक्षक से अनुरोध है कि मुद्रित अंक की प्रतियाँ निम्न प्रकार आपूर्ति की जाय:-

1. वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड, राँची - 100 प्रति।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची - 100 प्रति।
3. क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, जमशेदपुर - 100 प्रति।
4. उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम - 100 प्रति।
5. वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमशेदपुर वन प्रमंडल। - 100 प्रति।

Forest, Environment and Climate Change Department

Notification
30 MARCH, 2022

File No- Vanbhumi-09/2018- 1020--In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act XVI of 1927), the Governor of Jharkhand is pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable, from the date of this notification, to the **18.65 Acre (7.55 ha.)** Non Forest Raiyati land specified in the Schedule hereto annexed and situated in the district of **East Singhbhum**, Handed over for Compensatory Afforestation by **M/s Manmohan Minerals Industries Private Limited, Jamshedpur**, In lieu of diversion of **48.18 Acre (19.50 ha.)** Forest land under Forest (Conservation) Act, 1980, in **Protected Forest** of **Jamshedpur Forest Division** for proposed **SwarnKhananPariyojna, Kundrukochaproject**.

In lieu of in principle approval for diversion of **48.18 Acre (19.50 ha.)** Forest land under **Jamshedpur Forest Division** for **SwarnKhananPariyojna, KundrukochaProject** in favour of **M/s Manmohan Minerals Industries Private Limited** vide Govt. of India, Ministry of Environment & Forest letter **No. 10-164/FCE** date **07.01.1998** the above said land has been made available.

Since, the land specified in the schedule below was Raiyati which has been purchased by the User Agency and transferred it through registered Sale Deed No.-1419 dated-12.06.1998 and 1418 dated-12.06.1998 and mutated it in favour of Forest, Environment & Climate Change Department, Government of Jharkhand through case no-116/1998-99, 117/1998-99. Hence, Rights or concession of any other Government Department and/or private person over the land comprised in this notification do not exist and the land is free from all encumbrance and encroachment.

The land specified in the Schedule, is being notified as "Protected Forest" under Section 29 of Indian Forest Act, 1927 and hence forth it shall be called "Protected Forest"

Schedule

Land owner	Village	Thana	Thana No.	District	C.S. Khata no.	C.S. Plot no.	C.S. Type of Land	R.S. Khata No.	R.S. Plot no.	R.S. Type of Land	Area (Acre)	Boundary
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Forest, Environment & Climate Change Department, Government of Jharkhand.	Narsingpur	Ghatsila	1125	East Singhbhum	60	3	Goda II	60	3	Goda II	5.55	N – 2 S– 10 E – 11, 12, 13 W – 5
					60	10	Goda II	60	10	Goda II	2.86	N – 3 S– 13 E – 11 W – 9

					148	428	Don III	148	428	Don III	0.31	N – 390 S– 430 E – 389 W – 427
					148	386	Don III	148	386	Don III	0.37	N – 385 S– 67 E – 381 W – 387
					149	387 P	Don III	149	387 P	Don III	1.25	N – 389 S– 387 E – 385 W – 435
					149	388	MotiA anr	149	388	MotiAa nr	0.07	N – 389, S– 387 E – 389 W – 387
					149	389	Don III	149	389	Don III	1.66	N – 391 S– 387 E – 384 W – 428
					149	432	Goda II	149	432	Goda II	0.10	N – 431 S– 433 E – 430 W – 431
					149	433	Don III	149	433	Don III	0.09	N – 432 S– 435 E – 435 W – 442
					149	441	Don III	149	441	Don III	0.22	N – 442 S– 450 E – 2111 W – 450
					150	385	Don III	150	385	Don III	0.37	N – 384 S– 386 E – 381 W – 387
					151	430	Don III	151	430	Don III	0.49	N – 428 S– 435 E – 387 W – 442
					151	435 P	Don III	151	435 P	Don III	0.87	N – 430 S– 435 E – 387 W – 440
					151	439	Don III	151	439	Don III	0.09	N – 440 S– 437 E – 438 W – 450
					156	440	Don III	156	440	Don III	0.31	N – 2111 S– 438 E – 435 W – 450
					156	441/ 211 1	Don III	156	441/ 2111	Don III	0.05	N – 442 S– 440 E – 442 W – 441
					157	438	Don III	157	438	Don III	0.08	N – 440 S– 437

												E – 435 W – 439
					130	374	Don III	130	374	Don III	0.56	N – 375 S – 67 E – 373 W – 379
					130	375	Goda II NayiParti	130	375	Goda II NayiParti	0.63	N – 374 S – 379 E – 373 W – 377
					130	379	Don III	130	379	Don III	0.77	N – 375 S – 367 E – 374 W – 381
					130	381	Don III	130	381	Don III	1.95	N – 378 S – 367 E – 379 W – 385
								Total			18.65	

By the order of the Governor of Jharkhand,

L. Khiangte,
Additional Chief Secretary.

1. Forest, Environment & Climate Change Department, Jharkhand, Ranchi - 100 Copies.
2. Principal Chief Conservator of Forest (Hoff), Jharkhand, Ranchi - 100 Copies.
3. Regional Chief Conservator of Forest, Jamshedpur - 100 Copies.
4. Deputy Commissioner, East Singhbhum - 100 Copies.
5. Divisional Forest Officer, Jamshedpur - 100 Copies.
